

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... बनाम .....

करम मुकदमा ..... नं० ..... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र क्रमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।	
18.06.2019	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली में दर्ज करी सहरखालेदार उपस्थित नहीं आने से पत्रावली अब कोर्ट केम्प नं०वाई दि. 27.6.19 को पेश हो।	धारा पत्रावली
27.06.2019	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प नन्वाई पर पेश हुई। वादी पेंरोकार तहसीलदार उपस्थित व अन्य प्रतिवादी उपस्थित आए। समस्त प्रतिवादी गणों को दावा पत्रावली के मौजा 3-आमत्या की आ.नं. 199, 211, 212, 213, 237, 238, 608, 615, 617, 618, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 644, 646, 647, 669, 670, 671, 672, 673 किता 24 खब 6.38 हेम्पेर सूचि समी सहरखालेदारों का हिस्सा घोषणा किमे जाने	शेतासुधाल म कह मा ल फ सुधी श्री लसनी मवरमाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

**FORM No.III**  
**फर्द अहकाम**  
**(नियम 26)**

अदालत

मुकाम

बनाम

करम मुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>के संबंध में जानकारी दी गई। स्वस्वतेद्वारा द्वारा बताये गए राजरानुसार आराजी में दिखले की घोषणा किमे जाने के संबंध में स्वस्वती स्वरूप हस्ताक्षर किमे अतः बाद अन्तर्गत धारा 88 RTA व 136 LA Act का स्वीकार किया जाता है तथा उक्त आराजी में धीमानाल 1/126 सन्तोष कुमार 1/126 मंकीबाई 1/126 ठेकूबाई 1/126, लाडबाई 1/126 पिं मांगीबाल, बालीबाई पत्नि स्व. मांगीबाल 1/126, राधाबाई जमनाबाई रामपाली पिं कन्हैमालाल (माता जलीबाई), रामपाली मा. बा. स. प. मौखी ठेकूबाई दि. ब. 1/126 हजारी पिं देवा 1/18 स्तनलाल रेखा रेणा पिं देवीबाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीबाल दि. ब. 1/36 सोहनीबाई पं. स्व. कुका 1/36 काना पिं सुरजिया 1/6 शंकरबाल साधरीबाई पित्त भवाना धीसीबाई पत्नि स्व. भवाना दि. ब. 1/36 काना पिं बालू 1/36 माथू पिं बालू 1/36 नानूराम पिं मोडा 1/12 मु. मोटाबाई पत्नि स्व. कासिया 1/12 शंकरबाल पिं भवाना 1/36 शंकर पिं ऊंकार 1/36 प्रकारा पिं ऊंकार 1/36 प्यारा 1/9 उदा 1/9 मांगीबाई पिं चमना 1/9 बलाईसा देह खाण रहन बदस्तुर।</p> <p>उक्तानुसार दिखले की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक्के लिखामा जाकर व डिफ्री लेम्बर की जाकर शामिल फनावली की गई। फनावली फेसल शुमार से की जाकर नम्बर से कम है।</p>	<p>धारा डी. ए. ए. ए. इ. ए. ए. म. व. प. म. अ. न. स. ए. ए. अ. न. स. ए. डी. ए. ए. ए. ग. ए. ए. ए. न. व. ए. ए. म. ए. ए. श. ए. ए. गु. व. ए. ए. अ. न. स. ए. न. व. ए. ए. उ. ए. ए. ए. धारा</p>

22/6/18  
न. व. ए. ए.  
(उपरोक्त अधिकारी)  
ब. न. (उ. ए. ए.)  
उ. ए. ए. ए.  
धारा



न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेरू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)  
संख्या : 51/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेरू तहसील बेरू जिला चित्तौडगढ़  
वादी

बनाम

1. काना पिता सुरजिया बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
2. घीसालाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरू
3. सन्तोष कुमार पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरू
4. भंवरीबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरू
5. ठेकुबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरू
6. लाडबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरू
7. राधाबाई पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरू
8. जमनाबाई पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
9. रामपाली पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
10. बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
11. हजारी पिता देवा बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
12. रतनलाल पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
13. रेखा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
14. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
15. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
16. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
17. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
18. सायरीबाई पिता भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
19. घीसीबाई घ.प. भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
20. काना पिता बालू बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
21. नाथू पिता बालू बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
22. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
23. मु. मोत्याबाई प.स्व. कासिया बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
24. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
25. शंकर पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
26. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
27. प्यारा पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
28. उदा पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू
29. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरू

प्रतिवादीगण

उपरिथत : तहसीलदार, बेरू  
पैरोकार वादी

प्रतिवादीगण सं. 1से 29

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेरू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेरू (चित्तौडगढ़)

कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 858 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खा.सं. 161 सं.272-74 आ.नं. 199, 211, 212, 213, 237, 238, 608, 615, 617, 618, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 644, 646, 647, 669, 670, 671, 672, 673 किता-24 रकबा 6.38 हैक्टर भूमि खातेदारान के नाम दर्ज होकर उनके हिस्से दर्ज नहीं है।

अतः सरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164-96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल आर.एक्ट 136 के तहत घोषणा किये जाने की अनुशंघा की गई।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि वाद वर्णित भूमि ग्राम आमल्दा किता- 24 रकबा 6.38 हैक्टर उनकी पैतृक भूमि होकर वेणाजी से उसके तीन पुत्रों धन्ना, गोकल व गुला के नाम विरासत से दर्ज हो प्रत्येक का 1/3-1/3-1/3 हिस्सा अनुसार सजरे में किया जिसमें सभी पक्षकार हिस्से दर्ज करने बाबत सहमत हुए रेकार्ड के अवलोकन पश्चात पाया कि सैटलमेन्ट में उक्त वर्णित आराजी किता- 24 रकबा 6.38 हैक्टर श्री देवा वल्द धन्ना, काना पिता सुरजिया, बालू मोडा आस्या औंकार पिता गुला चमना पिता गोकल बलाई सा. देह के नाम दर्ज है। विरासत से ना.सं. 92 से देवा के बजाय मांगीलाल कूका हजारी का नाम ना.सं. 978 से कूका के बजाय रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल सोहनीबाई पत्नि कूका का नाम, ना.सं. 337 से चमना पिता गोकल के बजाय प्यारा उदा मांगीबाई पिता गोकल का नाम, ना.सं. 92 से बालू पिता गुला के बजाय भवाना काना नंदा पिता बालू ना.सं. 130 से मोडा के बजाय नानूराम पिता मोडा, ना.सं. 738 से भवाना के बजाय भंवरलाल सायरीबाई पिता भवाना घीसी पत्नि स्व. भवाना, नामा.सं. 474 से कास्या के बजाय मोत्याबाई पत्नि कास्या, ना.सं. 130 से उँकार के बजाय शंकर कूका प्रकाश पिता उँकार, नामा.सं. 1131 वसीयत से कूका पिता उँकार के बजाय भंवरलाल पिता भवाना एवं ना.सं. 1142 मांगीलाल पिता देवा के बजाय घीसालाल सन्तोष कुमार भंवरीबाई टेकूबाई लाडबाई पिता मांगीलाल हि.ब. राधाबाई जमनाबाई रामपाली पिता कन्हैयालाल माता डालीबाई, रामपाली ना.ब.स.प. मौसी टेकूबाई, बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल का नाम दर्ज हुआ है। सैटलमेन्ट का रेकार्ड से पूर्व का रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। मजमें आम में सजरा पढकर सुनाया गया जिसमें सभी पक्षकारों द्वारा जानकारी दी गई कि वाद वर्णित आराजीयात खातेदारों की पैतृक आराजी होकर तीन भाई धन्ना गोकल व गुला का 1/3-1/3-1/3 हिस्सा है जो सही है। वाद वर्णित भूमि को खाते में खातेदारों के हिस्से की घोषणा किये जाने हेतु पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का

सहायक कलेक्टर  
(अपराध अधिकारी)  
देवू (पिपरीगढ़)





मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेरौं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)  
दावा संख्या : 51/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेरौं तहसील बेरौं जिला चित्तौड़गढ़  
वादी

बनाम

1. काना पिता सुरजिया बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
2. घीसालाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौं
3. सन्तोष कुमार पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौं
4. भंवरीबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौं
5. ठेकुबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौं
6. लाडबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौं
7. राधाबाई पिता कन्हैयालाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेरौं
8. जमनाबाई पिता कन्हैयालाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
9. रामपाली पिता कन्हैयालाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
10. बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
11. हजारी पिता देवा बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
12. रतनलाल पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
13. रेखा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
14. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
15. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
16. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
17. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
18. सायरीबाई पिता भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
19. घीसीबाई ध.प. भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
20. काना पिता बालू बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
21. नाथू पिता बालू बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
22. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
23. मु. मोत्याबाई प.स्व. कासिया बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
24. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
25. शंकर पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
26. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
27. प्यारा पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
28. उदा पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं
29. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेरौं

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल. आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेरौं के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेरौं (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अधा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की खाता नं. 161 सं. 2072-74 में अंकित आराजी 199, 211, 212, 213, 237, 238, 608, 615, 617, 618, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 644, 646, 647, 669, 670, 671, 672, 673 किता-24 रकबा 6.38 हैक्टर भूमि में खातेदार श्री घीसालाल 1/126 सन्तोषकुमार 1/126 भंवरीबाई 1/126, ठेकुबाई 1/126, लाडबाई 1/126 पिता मांगीलाल, बालीबाई पत्नि स्व.मांगीलाल 1/126, राधाबाई, जमनाबाई रामपाली पिता कन्हैयालाल (माता डालीबाई), रामपाली ना. बा. स.प. मौसी ठेकुबाई हि.ब.1/126, हजारी पिता देवा 1/18 रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल हि.ब. 1/36 सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका 1/36 काना पिता सुरजिया 1/6 भंवरलाल सायरीबाई पिता भवाना धीसीबाई पत्नि स्व. भवाना हि.ब. 1/36 काना पिता बालू 1/36, नाथू पिता बालू 1/36, नानूराम पिता मोडा 1/12, मु.मोत्याबाई पत्नि स्व. कासिया 1/12, भंवरलाल पिता भवाना 1/36, शंकर पिता उँकार 1/36, प्रकाश पिता उँकार 1/36 प्यारा 1/9, उदा 1/9, मांगीबाई पिता चमना 1/9 बलाई सा.देह खातेदारी रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।



(रमेश सायरी प्याराडिया)  
सहायक कलेक्टर (उप-प्रमुख अधिकारी)  
बेगू (चित्तौड़गढ़)

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।